

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8851/2018

मंजुलता पत्नी सुरेन्द्र कुमार, उम्र 40 वर्ष, निवासी 158, बैंक रोड, कबरा की गली, बारां।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- खेमा पुत्र मांगीलाल, निवासी देवपुरा, तहसील व जिला बूंदी।
- राधेश्याम पुत्र भोलू, निवासी ग्राम दुगारी तहसील व जिला बूंदी।
- राजेंद्र कुमार पुत्र भंवर लाल, निवासी देवपुरा, तहसील व जिला बूंदी।
- राज्य सरकार, राजस्थान, तहसीलदार बूंदी।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से : श्री मयंक कुमार चौधरी

उत्तरदाता (ओं) की ओर से :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झींगन

आदेश**17/12/2024**

- यह याचिका दिनांक 25.05.2015, 29.07.2015 और 31.01.2018 के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें क्रमशः अस्थायी निषेधाज्ञा, अपील और पुनरीक्षण के लिए आवेदन को खारिज किया गया था।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता-वादी ने मुकदमे में वर्णित भूमि का खातेदार होने की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया। मुकदमे के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन भी दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, विचाराधीन भूमि घांसीलाल की थी, जिसने 22.11.1940 को अपनी बहन सोना बाई के पक्ष में वसीयत निष्पादित की, जिन्होंने आगे 09.06.1964 को प्यारू बाई के पक्ष में वसीयत निष्पादित की। याचिकाकर्ता प्यारू बाई की पुत्री हैं। दावे का समर्थन करने के लिए, संवत् 2007-10 के लिए जमाबंदी पेश की गई है। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को इस बात को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया कि संवत् 2063-66 के लिए जमाबंदी के अनुसार, प्रतिवादी-प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 विचाराधीन भूमि के खातेदार हैं। इसके अलावा निष्पादित वसीयत के मद्देनजर, खातेदारी के अधिकार मुकदमे के फैसले के समय ही निर्धारित किए जा

सकते हैं। आवेदन खारिज कर दिया गया। अपील और पुनरीक्षण का भी यही हश्र हुआ। इसलिए, यह याचिका प्रस्तुत है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घांसीलाल से याचिकाकर्ता तक की श्रृंखला घांसीलाल, सोना बाई और उसके बाद प्यारू बाई की उत्तराधिकारी होने के नाते, द्वारा निष्पादित वसीयत द्वारा पूरी हो गई है। तर्क यह है कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जानी चाहिए थी।

4. उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया है कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रतिवादी संबंधित भूमि के खातेदार हैं। यह उचित ही माना गया है कि इस स्तर पर प्रथम दृष्टया भी याचिकाकर्ता के पक्ष में खातेदारी अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी, इस स्तर पर सुविधा और प्रथम दृष्टया मामला याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा को उचित ही अस्वीकार किया गया।

5. इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करने वाले विवादित आदेश में कोई कानूनी तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है।

6. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

रिया/17

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate